रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 1973/श्रावण 19, 1895
No. 198] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 1973/SRAVANA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## CABINET SECRETARIAT

**(Department of Personnel & Administrative Reforms)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 10th August 1973*

**G.S.R.391(E).**-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the State Governments concerned hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966—

(a) for the heading "Andhra Pradesh" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"ANDHRA PRADESH

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Senior posts under the State Government | 55 |
| | Chief Conservator of Forests | 1 |
| | Additional Chief Conservator of Forests | 1 |
| | Conservator of Forests | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Conservator of Forests and Special Officer, Coffee Plantation Project, Visakhapatnam | 1 | |
| | Conservator of Forests, State Trading Circle, Hyderabad | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests | 27 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Soil Conservation Division | 2 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Coffee Project Division | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, State Trading Circle, Hyderabad | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Saw Mill Divisions, Jannaram and Rajahmundry | 2 | |
| | Assistant Chief Conservator of Forests | 3 | |
| | State Silviculturist | 2 | |
| | Curator, Nehru Zoological Park | 1 | |
| | Working Plan Officer | 3 | |
| | Forest Utilisation Officer | 1 | |
| | Principal, Forest School, Yellandu | 1 | |
| | | 55 | |
| 2. | Senior posts under the Central Government | | 4 |
| | | | 59 |
| 3. | Posts to be filled by promotion in accordance with Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 | 19 | |
| 4. | Posts to be filled by direct recruitment | | 40 |
| 5. | Deputation Reserve @ 15% of 4 above | | 6 |
| 6. | Leave Reserve @ 11% of 4 above | | 4 |
| 7. | Junior Reserve @ 20% of 4 above | | 8 |
| 8. | Training Reserve @ 5% of 4 above | | 2 |
| | Direct Recruitment posts | | 60 |
| | Promotion Posts | | 19 |
| | TOTAL AUTHORISED STRENGTH | | 79" |

(b) for the heading "Tamil Nadu" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"TAMIL NADU

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Senior posts under the State Government | | 41 |
| | Chief Conservator of Forests | 1 | |
| | Conservator of Forests | 4 | |
| | Conservator of Forests, Working Plan and Research | 1 | |
| | Conservator of Forests, Government Rubber Plantation | 1 | |
| | Conservator of Forests, Government Tea Plantation | 1 | |
| | Conservator of Forests, Development and Planning | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests | 19 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Departmental Tea Plantation | 3 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Headquarters | 1 | |
| | Soil Conservation Officer | 2 | |
| | State Wild Life Officer | 1 | |
| | State Silviculturist | 1 | |
| | Forest Utilisation Officer | 1 | |
| | Working Plan Officer | 4 | |
| | | 41 | |
| 2. | Senior posts under the Central Government | | 3 |
| | | | 44 |
| 3. | Posts to be filled by promotion in accordance with Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 | 14 | |
| 4. | Posts to be filled by direct recruitment | | 30 |
| 5. | Deputation Reserve @ 15% of 4 above | | 5 |
| 6. | Leave Reserve @ 11% of 4 above | | 3 |
| 7. | Junior posts @ 20% of 4 above | | 6 |
| 8. | Training Reserve @ 5% of 4 above | | 2 |
| | Direct Recruitment posts | | 46 |
| | Promotion posts | | 14 |
| | TOTAL AUTHORISED STRENGTH | | 60" |

(c) for the heading "Union Territories" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"UNION TERRITORIES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Senior posts under the Union Territories | | | 45 |
| | *Posts under the Andaman and Nicobar Administration* | | | |
| | Chief Conservator of Forests | | 1 | |
| | Conservator of Forests | | 3 | |
| | Deputy Conservator of Forests | | 7 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Depot Division | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Mill Division | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Silvicultural | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Working Plan | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Utilisation Division | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Planning and Statistical Cell | | 1 | |
| | *Posts under the Government of Goa, Daman and Diu* | | | |
| | Conservator of Forests | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests | | 2 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Cashew Division | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Working Plan | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests and Forest Utilisation Officer | | 1 | |
| | *Posts under the Dadra and Nagar Haveli Administration* | | | |
| | Deputy Conservator of Forests | | 1 | |
| | *Posts under the Arunachal Pradesh Administration* | | | |
| | Chief Conservator of Forests | | 1 | |
| | Conservator of Forests | | 2 | |
| | Conservator of Forests, Planning and Development | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests | | 9 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Working Plan Division | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Forest Utilisation Division | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Resources Survey Division | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Wild Life Division | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Silviculture Division | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Forest Statistics and Planning | | 1 | |
| | *Posts under the Government of Mijoram* | | | |
| | Conservator of Forests | | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests | | 1 | |
| | | | 45 | |
| 2. | Senior posts under the Central Government | | | 7 |
| | | | | 52 |
| 3. | Posts to be filled by promotion in accordance with Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 | | 17 | |
| 4. | Posts to be filled by direct recruitment | | | 35 |
| 5. | Deputation Reserve @ 15% of 4 above | | | 5 |
| 6. | Leave Reserve @ 11% of 4 above | | | 4 |
| 7. | Junior posts @ 20% of 4 above | | | 7 |
| 8. | Training Reserve @ 5% of 4 above | | | 2 |
| | Direct Recruitment Posts | | | 53 |
| | Promotion Posts | | | 17 |
| | TOTAL AUTHORISED STRENGTH | | | 70" |

(d) for the heading "Uttar Pradesh" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted, namely:—

"UTTAR PRADESH

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Senior posts under the State Government | | 82 |
| | Chief Conservator of Forests | 1 | |
| | Additional Chief Conservator of Forests | 2 | |
| | Conservator of Forests | 8 | |
| | Conservator of Forests, Working Plan Circle | 1 | |
| | Conservator of Forests, Research and Development Circle | 1 | |
| | Conservator of Forests, Wild Life Preservation Organisation | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Deputy Conservator of Forests | 48 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Foresters' Training Division | 2 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Forest Resources Survey Division | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Planntation Division | 2 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Tendu Patta Division | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Soil Conservation Division | 1 | |
| | Deputy Conservator of Forests, Logging Division | 1 | |
| | Forest Extension Officer | 1 | |
| | Timber Supply Officer | 1 | |
| | Silviculturists | 3 | |
| | Working Plan Officer | 7 | |
| | | 82 | |
| 2. | Senior posts under the Central Government | | 7 |
| | | | 89 |
| 3. | Posts to be filled by promotion in accordance with Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 | 29 | |
| 4. | Posts to be filled by direct recruitment | | 60 |
| 5. | Deputation Reserve @ 15% of 4 above | | 9 |
| 6. | Leave Reserve @ 11% of 4 above | | 7 |
| 7. | Junior posts @ 20% of 4 above | | 12 |
| 8. | Training Reserve @ 5% of 4 above | | 3 |
| | Direct Recruitment Posts | | 91 |
| | Promotion Posts | | 29 |
| | TOTAL AUTHORISED STRENGTH | | 120" |

[No. 6/59/72-AIS(IV)]
SHRAVAN KUMAR,
Joint. Secy.

## मंत्रिमंडल सचिवालय

### (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1973

**सा० का० नि० 391(अ).**—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 4 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है; अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1966 की अनसूची में,—

(क) "आन्ध्र प्रदेश" शीर्षक तथा उसके अन्तर्गत दी गई "प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"आन्ध्र प्रदेश

| | | |
|---|---|---|
| 1. | राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद | 55 |
| | मुख्य वनपाल | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अपर मु य वनपाल . . . | 1 | |
| | वनपाल . . . . . | 7 | |
| | वनपाल तथा विशेष अधिकारी | | |
| | काफी बागान परियोजना विशाखापत्तनम . | 1 | |
| | वनपाल, राज्य व्यापार सर्किल, हैदराबाद . | 1 | |
| | उप-वनपाल . . . | 27 | |
| | उप-वनपाल, भूसंरक्षण प्रभाग . . | 2 | |
| | उपवन-पाल, काफी परियोजना प्रभाग . | 1 | |
| | उप-वनपाल, राज्य व्यापार सर्किल हैदराबाद . | 1 | |
| | उप-वनपाल, आरा मिल प्रभाग जग्गरम और राजामन्दरी . . . . | 2 | |
| | सहायक मुख्य वनपाल . . . | 3 | |
| | राज्य वनवृक्ष विज्ञानी . . . | 2 | |
| | क्यूरेटर, नेहरू ज्यौलोजीकल पार्क . . | 1 | |
| | कार्य योजना अधिकारी . . . | 3 | |
| | वन उपयोग अधिकारी . . . | 1 | |
| | प्रिंसिपल फारेस्ट स्कूल मेलान्दू . . | 1 | |
| | | 55 | |
| 2. | केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पद | | 4 |
| | | | 59 |
| 3. | भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जा सकने वाले पद . . . | 19 | |
| 4. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद . . | | 40 |
| 5. | प्रतिनियुक्ति रिजर्व . उपर्युक्त 4 के 15 प्रतिशत के हिसाब से . . | | 6 |
| 6. | छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 11 प्रतिशत के हिसाब से . . . | | 4 |
| 7. | कनिष्ठ पद . उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से . . . | | 8 |
| 8. | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से . . . | | 2 |
| | सीधी भर्ती वाले पद . | | 60 |
| | पदोन्नति वाले पद . | | 19 |
| | कुल प्राधिकृत संख्या | | 79 |

(ख) "तामिल नाडू" शीर्षक तथा उसके अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"तामिल नाडु

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद | 41 | |
| | मुख्य वनपाल | 1 | |
| | वनपाल | 4 | |
| | वनपाल, कार्य योजना तथा अनुसंधान | 1 | |
| | वनपाल, रबर बागान | 1 | |
| | वनपाल, सरकारी चाय बागान | 1 | |
| | उप-वनपाल | 9 | |
| | उप-वनपाल, विभागीय चाय बागान | 3 | |
| | उप वनपाल मुख्यालय | 1 | |
| | भूमि संरक्षण अधिकारी | 2 | |
| | राज्य वन्य जीव अधिकारी | 1 | |
| | राज्य वन वृक्ष विज्ञानी | 1 | |
| | वन उपयोग अधिकारी | 1 | |
| | कार्य योजना अधिकारी | 4 | |
| | | 41 | |
| 2. | केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पद | | 3 |
| | | | 44 |
| 3. | भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद | | 14 |
| 4. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद | | 30 |
| 5. | प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपयुक्त 4 के 15 प्रतिशत के हिसाब से | | 5 |
| 6. | छुट्टि रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 11 प्रतिशत के हिसाब से | | 1 |
| 7. | कनिष्ठ पद, उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से | | 6 |
| 8. | प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से | | 2 |
| 9. | सीधी भर्ती वाले पद | | 46 |
| 10. | पदोन्नति वाले पद | | 14 |
| | कुल प्राधिकृत संख्या | | 60" |

(ग) "संघ राज्य क्षेत्र" शीर्षक तथा उसके अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"संघ राज्य क्षेत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संघ राज्य क्षेत्र के अधीन वरिष्ठ पद : | 45 |
| | अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन पद | |
| | मुख्य वनपाल | 1 |
| | वनपाल | 3 |
| | उप-वनपाल | 7 |
| | उप-वनपाल, डिपो प्रभाग | 1 |
| | उप-वनपाल, मिल प्रभाग | 1 |
| | उप-वनपाल, वन वृक्ष विज्ञान | 1 |
| | उप-वनपाल, कार्य योजना | 1 |
| | उप-वनपाल, उपयोग प्रभाग | 1 |
| | उप-वनपाल, योजना तथा सांख्यिकीय खेल | 1 |
| | गोवा, दमन तथा दियू सरकार के अधीन पद | |
| | वनपाल | 1 |
| | उप-वनपाल | 2 |
| | उप-वनपाल, काजू प्रभाग | 1 |
| | उप-वनपाल कार्य योजना | 1 |
| | उप-वनपाल तथा वन उपयोग अधिकारी | 1 |
| | दादरा तथा नगर हवेली सरकार के अधीन पद | |
| | वनपाल | 1 |
| | अरुणाचल प्रदेश प्रशासन के अधीन पद | |
| | मुख्य वनपाल | 1 |
| | वनपाल | 2 |
| | वनपाल, योजना तथा विकास | 1 |
| | उप-वनपाल | 9 |
| | उप-वनपाल, कार्य योजना प्रभाग | 1 |
| | उप-वनपाल, वन उपयोग प्रभाग | 1 |
| | उप-वनपाल, सम्पत्ति सर्वेक्षण प्रभाग | 1 |
| | उप-वनपाल, वन्य जीव प्रभाग | 1 |
| | उप-वनपाल, वन वृक्ष विज्ञान प्रभाग | 1 |
| | उप-वनपाल, वन सांख्यिकीय तथा योजना | 1 |

मिज़ोरम सरकार के अधीन पद

| | | | |
|---|---|---|---|
| | वनपाल . . . . . | 1 | |
| | उप-वनपाल . . . . . | 1 | |
| | | | 45 |
| 2. | केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पद . . | 7 | |
| | | | 52 |
| 3. | भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के अनसार पदोन्नति द्वारा भरे जा सकने वाले पद . . . . | 17 | |
| 4. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद . . | | 35 |
| 5. | प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 15 प्रतिशत के हिसाब से . | | 5 |
| 6. | छुट्टी रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 11 प्रतिशत के हिसाब से . | | 4 |
| 7. | कनिष्ठ पद, उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से . | | 7 |
| 8. | प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से . | | 2 |
| | सीधी भर्ती वाले पद . | | 53 |
| | पदोन्नति वाले पद . | | 17 |
| | कुल प्राधिकृत संख्या | | 70" |

(घ) "उत्तर प्रदेश" शीर्षक, तथा उसके अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उत्तर प्रदेश

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद . . | | 82 |
| | मुख्य वनपाल . . . . | 1 | |
| | अपर मुख्य वनपाल . . . | 2 | |
| | वनपाल . . . . | 8 | |
| | वनपाल, कार्य योजना सर्किल . . | 1 | |
| | वनपाल, अनुसंधान तथा विकास सर्किल . | 1 | |
| | वनपाल, वन्य जीव संरक्षण संगठन . | 1 | |
| | उप-वनपाल . . . . | 48 | |
| | उप-वनपाल, वन कर्मचारी प्रशिक्षण प्रभाग . | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | उप-वनपाल, वन सम्पत्ति सर्वेक्षण प्रभाग . | 1 | |
| | उप-वनपाल, बागान, प्रभाग . . | 2 | |
| | उप-वनपाल, तेन्दू पट्टा प्रभाग . . | 1 | |
| | उप-वनपाल, भूमि संरक्षण प्रभाग . . | 1 | |
| | उप-वनपाल, लोगिंग प्रभाग . . . | 1 | |
| | वन बिस्तार अधिकारी . . . | 1 | |
| | लकड़ी पूर्ति अधिकारी . . | 1 | |
| | वनवृक्ष विज्ञानी . . . . | 3 | |
| | कार्य योजना अधिकारी . . . | 7 | |
| 2. | केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पद . . | — | 7 |
| | | | 89 |
| 3. | भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद | 29 | |
| 4. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद . . | — | 60 |
| 5. | प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 15 प्रतिशत के हिसाब से . | | 9 |
| 6. | छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 11 प्रतिशत के हिसाब से . | — | 7 |
| 7. | कनिष्ठ पद . . . . उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से . | — | 12 |
| 8. | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से . | — | 3 |
| | सीधी भर्ती वाले पद | | 91 |
| | पदोन्नति वाले पद . | | 29 |
| | **कुल प्राधिकृत संख्या** . | | 120" |

[सं० 6/59/72-अ० भा० से० (4)]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973